भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय : केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, में स्वास्थ्य विजिटर के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस-के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू में स्वास्थ्य विजिटर के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री अंबा दत्त बावरी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल address ad.bawari@nic.in पर भेज सकते हैं।

(अंबा दत्त बावरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061510

नई दिल्ली
दिनांक: 24 अप्रैल, 2019

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली..............

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में स्वास्थ्य विजिटर, समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन नियमों को केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में "स्वास्थ्य विजिटर" समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा। ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता- कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार- जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत:- इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों की कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वास्थ्य विजिटर	दो पद *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-5 (रु. 29200-से 92300)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक ढील दी जा सकती है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से सदृश अर्हता और स्वास्थ्य विजिटर डिप्लोमा (6 मास का पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण अथवा सहायक नर्स, मिडवाइफ/बहु उद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता का डिप्लोमा हो (18 मास का पाठ्यक्रम) और नर्सिंग परिषद में स्वास्थ्य विजिटर के रूप में पंजीकृत हो तथा प्रतिष्ठित संगठन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता/स्वास्थ्य विजिटर का एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।	लागू नहीं	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती से

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीएलटीआरआई में समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक –सीएलटीआरआई चेंगलपट्टु -अध्यक्ष 2. उप- निदेशक (ईपीआईडी) –सीएलटीआरआई चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेश (सर्जिकल) - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं